



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102021-230588
CG-DL-E-21102021-230588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606]
No. 606]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21, 2021/आश्विन 29, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2021/ASVINA 29, 1943

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 749(अ).—केंद्र सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 10, 12 और 15 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों को भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त नियम के रूप में उल्लिखित किया गया है) में, प्रथम पैरा में, “मोबाइल टावर” शब्द के स्थान पर “मोबाइल टावर और तारयंत्र लाइन” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियम में, नियम 6 में, उप-नियम (4) में, “स्थापन” शब्द के स्थान पर “स्थापन, अनुरक्षण, चालन, मरम्मत, अंतरण अथवा स्थानांतरण” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियम में, नियम 9 में, उप-नियम (2) में, खंड (xiv) के बाद निम्नलिखित परन्तुकों को शामिल किया जाएगा:-

6073 GI/2021

(1)

“परन्तु यह कि भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन स्थापित करने हेतु किए गए आवेदन के मामले में खंड (ii), (iii), (v), (ix), (x) और (xi) में उल्लिखित दस्तावेज अपेक्षित नहीं होंगे:-

परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी को भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन स्थापित करने हेतु बनाई गयी मार्ग योजना से संबंधित दस्तावेज भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन स्थापित करने हेतु किए गए आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे:-”.

5. (i) उक्त नियम में, नियम 10 में, उप-नियम (1) में, खंड (झ) के बाद, निम्नलिखित परन्तुकों को शामिल किया जाएगा:-

“परन्तु यह कि भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन स्थापित करने हेतु किए गए आवेदन की जांच करने के लिए खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ज) में उल्लिखित प्राचल अनिवार्य नहीं होंगे:-

परन्तु यह भी कि समुचित प्राधिकारी प्रस्तावित भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन के लिए मार्ग योजना की और किसी अन्य लोक अवसंरचना जो इस प्रस्तावित मार्ग के साथ बिछाई जानी है, के साथ ऐसी तारयंत्र लाइन के या तो स्थापन या रख-रखाव में संभाव्य बाधा की जांच करेगा-.”;

(ii) उप-नियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा: -

“परन्तु यह कि जहाँ किसी समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या के अधीन किसी स्थावर संपत्ति पर भूमि के ऊपर तारयंत्र लाइन को स्थापित किया जाता है; वहाँ स्थावर संपत्ति के मूल्य के लिए एक बार प्रतिकर स्थापित की गई तारयंत्र लाइन के प्रति किलोमीटर के लिए एक हजार रूपए से अधिक देय नहीं होगा -.”;

(iii) उप-नियम (4) में, “स्थापन” शब्द के स्थान पर “स्थापन, अनुरक्षण, चालन, मरम्मत, अंतरण अथवा स्थानांतरण” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 2-41/2020-नीति]

हरि रंजन राव, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 15 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1070(अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 21 अप्रैल, 2017 की सा.का.नि. 407(अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2021

G.S.R. 749(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (e) of sub-section (2) of section 7 read with sections 10, 12 and 15 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in the opening paragraph, for the words “mobile towers”, the words “mobile towers and telegraph line” shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (4), for the word “establishing”, the words “establishing, maintaining, working, repairing, transferring or shifting” shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (2), after clause (xiv), the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided that the documents mentioned in clauses (ii), (iii), (v) (ix), (x) and (xi) shall not be required in case of application made for establishment of overground telegraph line:—

Provided further that the documents related to route plan for establishment of overground telegraph line shall be required to be provided by the licensee with the application made for establishment of overground telegraph line:”.

5. (i) In the said rules, in rule 10,- in sub-rule (1), after clause (i), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that the parameters mentioned in clauses (a), (b), (c), (g) and (h) shall not be necessary for examination of the application made for establishment of overground telegraph line:—

Provided further that the appropriate authority shall examine the route plan for the proposed overground telegraph line and the possible interference in regard to the establishment or maintenance of such overground telegraph line with regard to any other public infrastructure that may have been laid along the proposed route:—”;

(ii) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in cases where the overground telegraph line is established over the immovable property, vested in the control or management of any appropriate authority, then in such cases, one time compensation shall be payable for the value of the immovable property, not exceeding one thousand rupees per kilometer of the overground telegraph line established:—”;

(iii) in sub-rule (4), for the word “establishing”, the words “establishing, maintaining, working, repairing, transferring or shifting” shall be substituted.

[F. No. 2-41/2020-Policy]

HARI RANJAN RAO, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1070(E), dated the 15th November, 2016 and further amended *vide* G.S.R. 407(E), dated the 21st April, 2017.